# राजस्थान सरकार
## निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग/भर्ती/2015/19 दिनांक 5/2/15

1.समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज।
2.निदेशक (जन स्वास्थ्य)/आरसीएच/आई.ई.सी/एड्स/आर.आर.सी/मोबा0 सर्जि0यूनिट।
3.समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
4.परियोजना निदेशक, एनआरएचएम।
5.समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6.समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
7.उप निदेशक, राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला/मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक।

विषयः—नर्सिंग व पैरामेडिकल भर्ती 2013 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर राजस्थान के एस.बी.सिविल याचिका संख्या 3622/2013 मनोहर सिंह व अन्य बनाम सरकार एवं इसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर द्वारा निर्मित अन्य रिट याचिकाओं के संदर्भ में पारित निर्णयों की पालना में अनुभव प्रमाण—पत्र जारी करने के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 3622/2013 मनोहर सिंह व अन्य बनाम सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2013 एवं इसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर द्वारा निर्णित अन्य रिट याचिकाओं में पारित निर्णयों की पालना में विभाग की विभिन्न योजनाओं में NGO/Placement Agency के माध्यम से विभिन्न पदो पर कार्यरत् संविदाकर्मियों को सरकार द्वारा दायर अपील के निर्णयाधीन निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण—पत्र जारी किये जाने हेतु निदेशालय द्वारा अपने पत्र संख्या नर्सिंग/पैरामेडिकल/सीधी भर्ती/2013/356 दिनांक 02.09.2013 के द्वारा निर्देशित किया गया था।

अतः निदेशालय के पत्र दिनांक 02.09.2013 की पालना में आप द्वारा जिन अभ्यार्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये गये है उनकी पदवार काउन्सिलिंग कर संलग्न प्रपत्र 'अ' में सूचना संकलित कर नियत तिथि को आवश्यक रूप से संबंधित अभिलेखो सहित (जिस आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है।) पदवार पृथक—पृथक से सूचना निदेशालय में प्रस्तुत करेंगे।

| क.सं. | सम्बन्धित अधिकारी/संस्था | निदेशालय में सूचना प्रस्तुत करने की दिनांक | स्थान |
|---|---|---|---|
| 1. | समस्त प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज।<br>निदेशक (जन स्वास्थ्य)/ आरसीएच/ आई.ई.सी/ एड्स/आर.आर.सी/मोबाईल सर्जिकल यूनिट।<br>समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।<br>परियोजना निदेशक, एनआरएचएम।<br>उप निदेशक, राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला/<br>मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक। | 11.02.2015 को प्रातः 11 बजे | मीटिंग हॉल |
| 2. | समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी | 12.02.2015 को प्रातः 11 बजे | |
| 3. | समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | 13.02.2015 को प्रातः 11 बजे | |

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि निदेशालय के पत्र कमांक नर्सिंग/पैरामेडिकल/सीधी भर्ती/2013/356 दिनांक 02.09.2013 के सन्दर्भ में यदि किसी अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र जारी नही किया गया है तो इस आशय का उल्लेख करते हुये की दिनांक 02.09.2013 में उल्लेखित उनके द्वारा कोई अनुभव प्रमाण पत्र जारी नही किया गया है, की सूचना भी नियत तिथि को प्रस्तुत करें।

संयुक्त निदेशक जोन—जयपुर निदेशालय में उक्त तिथियों को उपस्थित होकर उक्त अधिकारियों से प्राप्त सूचनायें एकत्रित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे।

इस संबंध में विशेष रूप से 108 एम्बुलेंस में कार्यरत् संविदाकर्मियों के संबंध में सूचना संलग्न प्रपत्र 'अ' व 'ब' पृथक से तैयार कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जावेगी।

संलग्न :— प्रपत्र 'अ', 'ब'।

(दिनेश कुमार जाँगिड़)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग/भर्ती/2015/19 दिनांक 4/2/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज0 जयपुर।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/मिशन निदेशक, एनआरएचएम।
4. प्रबंध निदेशक, आरएमएससी, राज0 जयपुर।
5. संयुक्त सचिव, एनआरएचएम।
6. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज0, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन–जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे उपरोक्त तिथियों को निदेशालय में उपस्थित रहकर सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त सूचनाऐं एकत्रित कर अधोहस्ताक्षकर्ता को प्रस्तुत करेंगे।
8. प्रभारी, सर्वर रूम।

(दिनेश कुमार जाँगिड़)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

प्रपत्र –'अ'

## Application Detail Report/Performa

**Name of Post :** ............................ **Application Status :** Submitted

| S.No. | online App. No. | Applicant Name | Father's Name | Date of Bith | Gender | Marital Status | Category | Other sub categories | Sr. Sec. Total/ Grad. | Sr. Sec. obtain/ Grad. | Degree/ Diploma (Prof. Course) Total | Degree/ Diploma (Prof. Course) Obtain | RNC Registration No. | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

उक्त सूचना पदवार पृथक–पृथक से तैयार की जानी है।

## प्रपत्र – 'ब'

| क्र. सं. | संविदा कार्मिक का नाम | ऑनलाईन एप्लीकेशन आई.डी क्रमांक | एम्बूलेंस नम्बर | अनुभव दि........ से ............तक | कुल अनुभव अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर

क्रमांक : नर्सिंग/पैरामेडीकल/सीधी भर्ती/2013/356 दिनांक :2.9.2013

1. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज।
2. निदेशक, जनस्वास्थ्य/आरसीएच/आई0ई0सी0/एड्स/आर.आर.सी/मोबाईल सर्जिकल यूनिट।
3. समस्त अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह।
4. परियोजना निदेशक, एनआरएचएम
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
6. उप निदेशक, राजकीय औषधि परिक्षण प्रयोगशाला/मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक।

विषय : नर्सिंग व पैरामेडिकल भर्ती 2013 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर राजस्थान के एस.बी.सिविल याचिका संख्या 3622/2013 मनोहर सिंह व अन्य बनाम सरकार एवं इसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर द्वारा निर्णित अन्य रिट याचिकाओं के संदर्भ में अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि :–

1. माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर में प्रस्तुत एस.बी.सिविल याचिका संख्या 3622/2013 मनोहर सिंह व अन्य बनाम सरकार में बोनस अंक जारी करने बाबत् विभागीय आदेश कमांक आई.डी.270/चिस्वा /ग्रुप–/2013 दिनाँक 11.3.13, में अंकित शर्त संख्या 7 को निरस्त किया है एवं निम्न आदेश पारित किया है।

   In view of above condition No. 7 of the order dated 11.03.2013 (Annex.6) is hereby quashed and set aside, the respondent - state is directed to treat the experience of the petitioners at par with those employees who were appointed by the government in National Rural Health Mission and Medi Care Relief Society and consider their case for appointment while taking into account the eligibility for the post of Nurse Grade – II. (इस निर्णय की प्रति परिशिष्ठ–"अ" पर संलग्न है)

2. उक्त निर्णय के आधार पर ही माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर द्वारा कतिपय अन्य रिट याचिकाऐं निर्णित की जा चुकी है। इन निर्णित अन्य समान प्रकृति की रिट याचिकाओं के संदर्भ में प्लेसमेंट एजेन्सी/एनजीओ के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं में नियोजित कार्मिकों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संदर्भ में विचार किया जाना है।
3. इन याचिकाकर्त्ताओं को अनुभव प्रमाण–पत्र इस विभाग के पत्रांक नर्सिंग/पैरामेडीकल/सीधी भर्ती/13/13 दिनाँक 19.2.13 पत्र कमांक आई.डी.270/चिस्वा /ग्रुप–/2013 दिनाँक 11.3.13 एवं पत्रांक आई.डी.438/चिस्वा/ग्रुप–/2013 दिनाँक 22.3.13 में वर्णित अधिकारी द्वारा ही जारी किये जायेंगें।
4. इन याचिकाकर्त्ताओं के बारे में संबंधित सेवा एजेन्सी से इनकी सेवा संबंधी समस्त तथ्यात्मक सूचना प्राप्त करें तथा इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में याचिकाकर्त्ता के संबंध में प्रमाण–पत्र भी प्राप्त करें। इसके बाद ही याचिकाकर्त्ता द्वारा विभाग में किये गये कार्य के संबंध में सक्षम अधिकारी स्वंय के स्तर पर पूर्ण संतुष्टि के पश्चात ही अनुभव प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में जारी करने की कार्यवाही की जावें।
5. अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 1965 एवं उसके तहत राज्य सरकार/ निदेशालय स्तर से समय समय पर जारी समस्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।
6. इनका अनुभव प्रमाण–पत्र संबंधित याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
7. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की पालना में जारी किये गये ऐसे प्रमाण पत्र वैध माने जावेगें जो कि निर्धारित प्रपत्र में हों।
8. इन निर्देशों के जारी होने से पूर्व माह फरवरी, 2013 में विज्ञापित पदो के लिये अनुभव प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के संबंध में जारी समस्त निर्देशों/आदेशों की पालना की जावें।

Destop/NRHM Recruitment/NGO Placement.docx

9. अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन करने वाले आवेदक से ऑनलाईन आवेदन करने का प्रमाण पत्र (ऑनलाईन आवेदन की प्रति) प्राप्त की जाकर उसका विवरण इस कार्यालय को भिजवाया जावें।

10. ऊपर बिन्दु संख्या 1 व 2 में उल्लेखितानुसार माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर/जयपुर के निर्णयों की अनुपालना में प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से नियोजित आवेदकों को बोनस अंक दिये जाने हेतु प्रपत्र परिशिष्ठ – "ब व स" पर संलग्न है।

अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने की कार्यवाही सात दिवस में की जावें।
संलग्न : परिशिष्ठ – "अ" "ब" एवं "स"

Sd/-
सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क.विभाग
एवं मिशन निदेशक, एनआरएचएम,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : नर्सिंग/पैरामेडीकल/सीधी भर्ती/2013/358 दिनांक : 2.9.2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग/सहकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, सहकारिता समितियां, सहकारिता विभाग/प्रबन्ध निदेशक, कॉनफड राजस्थान, जयपुर।
5. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक, एनआरएचएम।
6. प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, राज0 जयपुर।
7. समस्त जिला कलेक्टर।
8. विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग (ग्रुप–1) विभाग, राज0 जयपुर।
9. सयुंक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज0 जयपुर।
10. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2, 5 एवं एनआरएचएम) विभाग, राज0 जयपुर।
11. निदेशक, जनस्वास्थ्य/एड्स/आरसीएच/आईईसी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
12. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।
15. प्रभारी, सर्वर रूम।

सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क.विभाग
एवं मिशन निदेशक, एनआरएचएम,
राजस्थान जयपुर

परिशिष्ट – "ब"

कार्यालय ..............................................................................................................
कमांक :

दिनांक :

अनुभव प्रमाण–पत्र
(सेवा एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के लिये)

कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड एवं सेवा एजेन्सी .................................................................... (सेवा एजेन्सी का नाम) के द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती .................................. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ......................................... की सेवायें .................................. (पदनाम) हेतु ........................................................................... (सेवा एजेन्सी का नाम) सेवा एजेन्सी द्वारा अनुबन्ध के आधार पर उपलब्ध करवाई गई है। इन्होने .......... ........................... योजना में दिनांक ......................................... से .................................. तक (कुल अवधि ......... वर्ष ......... माह ......... दिन ..........) (कार्यालय का नाम) ........................................................ में कार्य किया है। यह प्रमाण–पत्र एस.बी.सिविल याचिका संख्या 3622/2013 मनोहर सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य/इसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर निर्णित अन्य समान प्रकृति की रिट याचिका संख्या .......................... में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

दिनांक :

(हस्ताक्षर)
सक्षम अधिकारी
मय नाम व पद नाम

सेवा एजेन्सी का नाम ............................................................................ परिशिष्ठ – "स"

कमांक :

दिनांक :

## अनुभव प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सेवा एजेन्सी ...................................................................... एक पंजीकृत संस्था है। जिसके पंजीयन नम्बर ................................................ है। हमारी सेवा एजेन्सी ................................................ एवं ........................................................ (कार्यालय का नाम) .............. ........................................ के मध्य अनुबंध के आधार पर कार्मिकों की सेवायें उपलब्ध करवाने के संबंध में एक अनुबंध दिनांक ................................................ को किया गया है। इस अनुबंध एवं सेवा एजेन्सी के रिकॉर्ड के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री / श्रीमती ........................ ............................ पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ................................................की सेवायें ......................... ...................... (पदनाम) हेतु ....................................................................सेवा एजेन्सी द्वारा अनुबन्ध के आधार पर उपलब्ध करवाई गई है। इन्होने ................................ योजना में दिनांक ......................... ........... से ................................ तक (कुल अवधि ......... वर्ष ......... माह ......... दिन .........) (कार्यालय का नाम) ................................................................ में कार्य किया है। इसके लिये श्री / सुश्री / श्रीमती ................................................................ पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ............................ ............................ को प्रतिमाह रु. .............................. कुल रु. ...................... का भुगतान सेवा एजेन्सी द्वारा किया गया है। इन को किये गये भुगतान संदर्भ में लागू प्रावधानों के तहत प्रावधायी निधी (पीएफ) खाता संख्या ...................... में जमा राशि का विवरण निम्नानुसार है : –

| क.सं. | वर्ष | माह | पीएफ कटौती राशि | पीएफ जमा कराने की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

दिनांकः–

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष / सचिव,

मय नाम व संस्था की मुहर

.............................. (सेवा एजेन्सी का नाम)

### सत्यापन

मैं ........................................ पुत्र श्री ................................................ उम्र ......... जाति ......... निवासी ....................................अध्यक्ष / सचिव ........................................ (सेवा एजेन्सी का नाम) एतद द्वारा घोषणा कर सत्यापित करता हुँ कि उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री ........................................ के नियोजन के संबंध में उपलब्ध कराई गई उक्त समस्त सूचना पूर्णतया सही है। इसमें कुछ भी असत्य नही है एवं कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है। किसी प्रकार की भ्रामक, असत्य अथवा त्रृटि पूर्ण पाये जाने पर मय स्वंय व्यक्तिगत रूप से एंव सामूहिक रूप से जिम्मेदार रहूँगा। कोई भी सूचना भ्रामक, असत्य अथवा त्रृटि पूण पाये जाने पर विभाग द्वारा मेरे एवं मेरी संस्था के विरूद्ध कानूनी एवं दाण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी।

हस्ताक्षर सत्यापन कर्ता